2018/00803

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान .... परमानन्द .... बनाम .... राजेन्द्र उर्फ राजू ....

किस्म मुकदमा .... 223 .... अकील संख्या .... 174/2018 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण को रूक – रूक कर तीन बार आवाजे लगवायी गयी फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में रेस्पोडेंटगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस सम्मन तामील करवा कर आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। अतः अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण के अनुपस्थित रहने एवं रेस्पोडेंट के सम्मन नोटिस तामील नहीं करवाने के कारंण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एंव भू प्रबन्धक अधिकारी महोदय कोटा केम्प बारां राज0

1– परमानन्द उम्र 40 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति लुहार निवासी खेडी तहसील छीपाबडोद हाल मुकाम कपिलवस्तु कॉलोनी, झालावाड जिला झालवाड(राज0)

2– हरिनारायण उम्र 72 वर्ष माता हीरा जाति लुहार निवासी रावां हाल सुखनेंरी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

3– रामनारायण उम्र 58 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति लुहार रिनवासी खेडी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

4– जगदीश उम्र 52 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति लुहार निवासी खेडी हाल मुकाम अटरू तहसील अटरू जिला बांरा , राज0

5– बंशीलाल उम्र 47 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति लुहार निवासी खेडी हाल प्रदीप मेटल पट्रोल पम्प के पास छीपाबडोद तह0 छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

6– कांतीबाई उम्र 40 वर्ष पुत्री धूलीलाल जाति लुहार निवासी खेडी हाल निवासी रामनगर तहसील छबडा जिला बांरा , राज0

7– द्रोपदीबाई उम्र 27 वर्ष पुत्री धूलीलाल जाति लुहार निवासी रावां हाल अटरू तहसील अटरू जिला बांरा , राज0

8– गणेश उम्र 50 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति लुहार निवासी खेडी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

9– कमलाबाई पुत्री प्रभूलाल जाति लुहार निवासी कोहनी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

10– धनराज उम्र 40 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति लुहार

11– नन्दकिशौर उम्र 37 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति लुहार

निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बांरा, राज0

12– कन्याबाई उम्र 68 वर्ष बेवा बिरधीलाल जाति लुहार निवासी रावां तहसील छीपाबडोद जिला बांरा, राज0

13– मांगीबाई उम्र 35 वर्ष पुत्री बिरधीलाल जाति लुहार निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बांरा, राज0 – **अपीलान्ट**

– बनाम –

1– राजेन्द्र उर्फ रानू आयु 43 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

2– भंवरलाल आयु 49 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

3– रामप्रकाश आयु 38 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

4– ओमप्रकाश आयु 36 वर्ष पुत्र गणपत जाति लुहार

5– शांतिबाई आयु 53 वर्ष पुत्री गणपत जाति लुहार

6– गीताबाई आयु 31 वर्ष पुत्री गणपत जाति लुहार

निवासीगण खेडी हाल रांवा तहसील छीपाबडोद

जिला बांरा , राज0

7– रामकल्याण उम्र 67 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति लुहार

निवासीगण खेडी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

8– धन्नीबाई उम्र 45 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति लुहार निवासी चांदखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड, राज0

9– पानाबाई आयु 100 वर्ष बेवा प्रभूलाल जाति लुहार निवासी खेडी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा, राज0

10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब छीपाबडोद जिला बांरा, राज0 – **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट विरूद्व निर्णय व अंतिम डिकी दिनाक 12.06. 2016 प्रकरण सं0 122/2015 बउनवान राजेन्द्र वगैराह बनाम बिरधीलाल वगैराह दावा अन्तर्गत धारा 53, 183 आर. टी. ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव मजिस्टेट महोदय, छीपाबडोद जिला बांरा, राज0

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर निवेदन करता है –

1– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है ।

2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने प़त्रावली पर उपलब्ध तथ्यो , साक्ष्यो एंव दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करने मे भारी भूल की है ।

3– यह कि वाद मे जो प्रतिवादी कम 1 बिरधीलाल बनाया गया है उसकी दिनांक 13.06.2017 को मृत्यु हो गयी है तथा उसके वारिस धनराज पुत्र, नन्दकिशौर पुत्र व मांगीबाई पुत्री तथा कन्याबाई बेवा है , जिनको अपीलान्ट बना दिया गया है ।

4– यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिकी पारित करते समय राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नही की है तथा जो बटवारा स्कीम भेजी गयी है , उस पर सभी पक्षकारान के हस्तााार नही है सभी पक्षकारान की उपरिथति मे विभाजन स्कीम नही बनायी गयी है , इस कारण विभाजन स्कीम राजस्व नियम 18 से 21 की